FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

सॉवरमल पुत्र सोनाराम, नि0 नॉगल बनाम तहसीलदार श्रीमाधोपुर

किस्म मुकदमा:–प्रार्थना पत्र अधारा 136 एलआरएक्ट मुकदमा नम्बर:– 131/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
17-09-2025	प्रार्थी सॉवरमल पुत्र सोनाराम, जाति जाट निवासी नॉगल तहसील श्रीमाधोपुर ने उपस्थित होकर राजस्व रिकार्ड में नाम शुद्धिकरण करने बाबत एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर प्रार्थना पत्र पर सम्बन्धित पटवारी हल्का नॉगल से जॉच रिपोर्ट ली गई। पटवारी हल्का नागंल की जॉच रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 2597/भू.अ./2025 दिनांक 16.09.2025 के द्वारा जॉच रिपोर्ट अपनी अभिशंषा रिपोर्ट के साथ इस न्यायालय को भिजवाई गई है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से जॉच रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण को अन्तर्गत धारा–136 राज0 भू राजस्व अधिनियम–1956 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त जॉच रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी जॉच रिपोर्ट में अवगत कराया है कि ग्राम नॉगल के भूमि खाता सख्या 104 व 126 में प्रार्थी का नाम सांवरलाल पुत्र सोनाराम के स्थान पर सांवरमल पुत्र सोनाराम दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का नांगल के प्रार्थी का उक्त अशुद्ध नाम न्यायालय डिकी का नामान्तकरण दर्ज करते समय सहवन से दर्ज हुआ है जबकि न्यायालय डिकी में प्रार्थी का नाम सांवरमल पुत्र सोनाराम सही नाम दर्ज है। जिसके कारण प्रकरण को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत तैयार कर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किये जाने बाबत अपनी अभिशंषा रिपोर्ट में अंकित की है। जिस पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम को दर्ज रजिस्टर किया जावे। हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, रिपोटं पटवारी हल्का नांगल व तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेजात् इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम नांगल के भूमि खाता संख्या 104 व 1[illegible] में खातेदार का नाम सांवरलाल पुत्र सोनाराम जाति जाट निवासी नांगल गलत इन्द्राज है जब[illegible] उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा उनवानी प्रक[illegible] मुकदमा संख्या 251/2009 में पारि[illegible] 07.03[illegible] में प्रार्थी का नाम वादी संख्या 1/7 पर सांवरमल पुत्र सोनाराम सही अं[illegible] किया गया है तथा उक्त डिक्री का नामान्तकरण संख्या 1901 फैसल दिनांक 06.06.2025 में दर्ज करते समय प्रार्थी खातेदार का नाम सावरलाल पुत्र सोनाराम जाति जाट निवासी नांगल गलत इन्द्राज किया जाना प्रकट होता है। उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.09.29 12:57:33 IST
Reason: SelfAttested

सांवरमल पुत्र सोनाराम
प्रार्थना पत्र नं. 131/2025

तारीख हुक्म हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय [illegible]
	तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त जाँच रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत जमाबन्दी में नाम संशोधन करने बाबत अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम- 1956 का न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम नांगल पटवार हल्का नांगल तहसील श्रीमाधोपुर के भूमि खाता संख्या 104 खसरा संख्या 2183, 2184, 2190, 2191, 2192 कुल किता 5 कुल रकबा 4.18 हैक्टर व खाता संख्या 126 खसरा नम्बर 628, 680 कुल किता 2 कुल रकबा 4.25 हैक्टर की खातेदारी में दर्ज प्रार्थी का नाम सांवरलाल पुत्र सोनाराम जाति जाट निवासी नांगल के स्थान पर सांवरमल पुत्र सोनाराम जाति जाट निवासी नांगल गलत इन्द्राज दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। इस बाबत तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.09.29 12:57:33 IST
Reason: SelfAttested